सिद्धार्थनगर पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 01-11-2025 जनपद सिद्धार्थनगर ।

◆पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा यातायात माह नवम्बर-2025 को हरी झण्डी दिखाकर शुभारम्भ किया गया ।

आज दिनांक 01.11.2025 को जनपद सिद्धार्थनगर में "यातायात माह, नवम्बर-2025" को हरी झण्डी दिखाकर शुभारंभ किया गया । इस अवसर पर डॉ अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा पुलिस लाइन सिद्धार्थनगर से "यातायात जागरूकता बाइक रैली" को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया । उक्त कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर, क्षेत्राधिकारी यातायात, टीएसआई सम्मिलित हुए । यातायात रैली पुलिस लाइन से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख चौराहों/मार्गो से होती हुई पुलिस लाइन में आकर समाप्त हुई । यातायात जागरुकता कार्यक्रम के माध्यम से आम जनमानस में यातायात नियमों का पालन संबंधी जागरूकता जैसे- वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयाग करना, हेलमेट पहनना, ओवरस्पीडिंग न करना, वाहन चलाते हुए मोबाइल फोन/ईयर फोन का प्रयोग नहीं करना, नशे की हालत में वाहन न चलाना, वाहन पर निर्धारित संख्या से अधिक सवारी न बैठाना, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वाहन चलाने हेतु प्रोत्साहित न करने आदि महत्वपूर्ण यातायात नियमों के संबंध में जागरूक किया गया ।

प्रेस नोट दिनांक 01-11-2025 जनपद सिद्धार्थनगर।

◆सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर तहसील इटवा पर जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा जनसुनवाई किया गया।

◆समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

आज दिनांक 01-11-2025 को जनपद सिद्धार्थनगर के तहसील इटवा में सम्पूर्ण समाधान दिवस (तहसील दिवस) का आयोजन किया गया । जिसमें जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर, उपजिलाधिकारी व क्षेत्राधिकारी इटवा उपस्थित रहें। तहसील दिवस में प्राप्त शिकायती प्रार्थना-पत्रों के सम्बन्ध में जनता की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना गया एवं उसके निस्तारण हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया । उक्त तहसील दिवस में राजस्व विभाग के अधिकारी/कर्मचारीगण व तहसील इटवा क्षेत्र के प्रभारी निरीक्षक/थाना प्रभारी मौजूद रहे।

प्रेस नोट दिनाँक 01.11.2025 थाना सिद्धार्थनगर ।

◆थाना सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी को गिरफ्तार किया गया तथा आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय भेजा गया ।

डॉ0 अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में विश्वजीत सौरयान क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में दुर्गा प्रसाद प्रभारी निरीक्षक सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में थाना सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा आज दिनांक 01.11.2025 को वाद संख्या- 137/95 अन्तर्गत धारा- 323,504,426 IPC सरकार बनाम संतराम थाना सिद्धार्थनगर से सम्बन्धित वारन्टी कृपाल पुत्र हरिराम साकिन पिठनी बुजुर्ग थाना व जनपद सिद्धार्थनगर को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार वारण्टी का विवरण

01.कृपाल पुत्र हरिराम साकिन पिठनी बुजुर्ग थाना व जनपद सिद्धार्थनगर

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का विवरण---

01. उ0नि0 विजय शंकर सिंह थाना व जनपद सिद्धार्थनगर।

02. HC जयप्रकाश पासवान थाना व जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट दिनांक 01.11.2025 थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर।

◆थाना कपिलवस्तु द्वारा 01 नफर वाछिंत अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तथा आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय भेजा गया ।

डॉ0 अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रसांत कुमार प्रसाद, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में तथा विश्वजीत सौरयान क्षेत्राधिकारी सदर सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में सदरूल आलमीन थाना प्रभारी कपिलवस्तु के नेतृत्व में आज दिनांक 01.11.2025 को मु0अ0सं0 77/2025 धारा 70(1),70(2),351(3),115(2) बीएनएस व 5/6 पाक्सो एक्ट व 67 आईटी एक्ट थाना कपिलवस्तु जनपद सि0नगर से सम्बन्धित अभियुक्त को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय सिद्धार्थनगर भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण....

01. रैयान पुत्र हसरुद्दीन साकिन पचंगवा थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण--

01.नि0 रामाप्रसाद यादव थाना व जनपद सिद्धार्थनगर।

02.मुख्य आरक्षी प्रदीप कुमार यादव ,भारत सिंह यादव।

प्रेस नोट दिनांक 01.11.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

🔷 **महिला सशक्तिकरण के क्रम में नारी सुरक्षा एंव स्वालंबन के लिए समर्पित थाना शोहरतगढ़ मिशनशक्ति पुलिस टीम द्वारा मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 के तहत " ग्राम मस्जिदिया" में चौपाल लगाकर बालिकाओं/महिलाओं को जागरुक किया गया।**

डॉ0 अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओ की सुरक्षा में चलाए जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 01/11/2025 को प्रशांत कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ मयंक द्विवेदी तथा प्रभारी निरीक्षक नवीन कुमार सिंह थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर के कुशल नेतृत्व में थाना शोहरतगढ़ मिशनशक्ति पुलिस टीम उ0 नि0 राज कुमार यादव, आ0 पवन मौर्या, म0आ0 कामिनी तिवारी, म0आ0 मंजू सरोज द्वारा मिशन शक्ति व साइबर क्राइम, मिशन शक्ति केंद्र, बहू बेटी सम्मेलन एवं नए कानून के संबंध के अन्तर्गत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत थाना क्षेत्र के ग्राम मस्जिदिया में जाकर महिलाओं व बच्चियों को जागरूक किया गया तथा खुद के साथ होने वाले अपराध से बचने के बारे मे जानकारी दी गयी दहेज उत्पीड़न पॉक्सो एक्ट महिला संबन्धित मुकदमों में पीड़िताओं की काउंसलिंग की गई तथा मिशन शक्ति 5.0 स्टीकर भी चस्पा किया गया। मा0 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी थानों पर स्थापित मिशन शक्ति केंद्र जहां पर अपनी समस्या को दर्ज करा सकती हैं के बारे में जानकारी दी गई तथा मिशन शक्ति फेज 5.0 के विषय मे महिलाओं को महिला सम्वन्धी अपराध पर अंकुश लगाने हेतु जारी हेल्प लाइन *1090 वुमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्प लाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन, 112 पुलिस हेल्प लाइन, 1098 चाईल्ड केयर लाइन, 108 एम्बुलेंस हेल्प लाइन, 101 अग्निशमन हेल्प लाइन, 14567 एल्डर हेल्पलाइन, 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर नए कानून के बारे में जानकारी दी गई।

प्रेस नोट दिनांक 01.11.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆ महिला सशक्तिकरण के क्रम में नारी सुरक्षा एंव स्वालंबन के लिए समर्पित महिला थाना जनपद सिद्धार्थनगर मिशनशक्ति पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र जोगिया उदयपुर के *सिसवा खुर्द* गाँव में बहू-बेटी सम्मेलन चलाया गया, महिलाओ को सुरक्षा के बारे में व नये कानून व हेल्पलाइन नम्बरो की जानकारी दी गयी तथा मिशन शक्ति 5.0 स्टीकर भी चस्पा किया गया।

डॉ0 अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओ की सुरक्षा में चलाए जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 01/11/2025 को प्रशांत कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक व विश्वजीत शौरयान क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक भाग्यवती पाण्डेय महिला थाना मिशनशक्ति पुलिस टीम उ0नि0श्री रामनारायण शुक्ला, म0आ0 हसीना खातून, म0आ0 शिवानी सिंह द्वारा मिशन शक्ति व साइबर क्राइम, मिशन शक्ति केंद्र, बहू बेटी सम्मेलन एवं नए कानून के संबंध के अन्तर्गत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत थाना क्षेत्र जोगिया उदयपुर के *सिसवा खुर्द* गाँव की महिलाओ को जो थाने तक नहीं आ सकती हैं बहू बेटी सम्मेलन लगाकर व साइबर जागरुकता अभियान व विडीयो दिखा कर जागरुक किया गया तथा खुद के साथ होने वाले अपराध से बचने के बारे मे जानकारी दी गयी तथा मिशन शक्ति 5.0 स्टीकर भी चस्पा किया गया। मा0 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी थानों पर स्थापित मिशन शक्ति केंद्र जहां पर अपनी समस्या को दर्ज करा सकती हैं के बारे में जानकारी दी गई तथा मिशन शक्ति फेज 5.0 के विषय मे महिलाओं को महिला सम्वन्धी अपराध पर अंकुश लगाने हेतु जारी हेल्प लाइन 1090 वुमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्प लाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन, 112 पुलिस हेल्प लाइन, 1098 चाईल्ड केयर लाइन, 108 एम्बुलेंस हेल्प लाइन, 101 अग्निशमन हेल्प लाइन, 14567 एल्डर हेल्पलाइन, 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर नए कानून के बारे में जानकारी दी गई।

प्रेस नोट दिनाँक 31.10.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆थाना उसका बाजार पुलिस द्वारा NDPS ACT से सम्बन्धित 02 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा गया ।

डॉ0 अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में व विश्वजीत सौरयान क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में हरेकृष्ण उपाध्याय प्रभारी निरीक्षक थाना उसका बाजार के नेतृत्व मे उसका बाजार पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 172/2025 धारा 8/20 NDPS ACT से सम्बन्धित 02 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.ओमप्रकाश मिश्रा पुत्र श्रवण कुमार मिश्रा निवासी महादेव मिश्रा थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर

2. महिबुल्ला पुत्र सैदुल्ला निवासी गौरा बाजार थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर

बरामदगी - 01 किलो 149 ग्राम नाजायज गांजा व एक अदद एंड्रायड REDDMI मोबाइल एक मोटरसाईकिल नंबर UP55 AN9322 ।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण

1. हरेकृष्ण उपाध्याय प्रभारी निरीक्षक थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर

2.उ0नि0 मुनीन्द्र कुमार त्रिपाठी थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर

3.हे0 का0 शैलेन्द्र गिरी थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर

4.हे0का0 बलराम राणा थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर

5.का0 पन्ने लाल थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर

अभियुक्त महिबुल्ला पुत्र सैदुल्ला साकिन गौरा बाजार थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर का अपराधिक इतिहास

01-मु0अ0सं0 55/2019 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर

02-मु0अ0सं0 1643/2016 धारा 379,411 भा0द0वि0 थाना सिद्धार्थनगर जनपद सिद्धार्थनगर

प्रेस नोट दिनांक 01-11-2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆"आपरेशन कन्विक्शन" के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना सिद्धार्थनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी से गैगेस्टर एक्ट के आरोपी को 03 वर्ष 01 माह के कारावास व ₹ 5,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे "आपरेशन कन्विक्शन" के तहत डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में आज दिनांक 01.11.2025 को वाद सं0-536/2025 मु0अ0सं0-283/2021 धारा- 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट में थाना सिद्धार्थनगर मे पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश श्री मनोज कुमार तिवारी अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा मुकदमा उपरोक्त में सम्बन्धित अभियुक्त धर्मदेव पुत्र पूर्णमासी निवासी बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को 03 वर्ष 01 माह के कारावास व ₹ 5,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी अर्जुन कुमार थाना सिद्धार्थनगर का सराहनीय योगदान रहा।

प्रेस नोट दिनांक 01.11.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆"आपरेशन कन्विक्शन" के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना मोहाना पुलिस की प्रभावी पैरवी से मार-पीट के 02 आरोपीयों को जेल में बितायी गयी अवधि व प्रत्येक को ₹ 1100/-1100/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे "आपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में दिनांक 01-11-2025 को वाद सं0-3668/2006 मु0अ0सं0-20/1982 धारा-323,504,506,325 भादवि0 थाना मोहाना में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश स्वाति आनन्द जे0एम0 सिद्धार्थनगर जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्तगण 01-राजकुमार पुत्र रामलखन 02- शिवकुमार पुत्र रामलखन निवासीगण वार्ड नं0-09 थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर को जेल में बितायी गयी अवधि व प्रत्येक को ₹ 1100/-1100/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया । सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अभियोजक अजय कुमार गौतम तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी श्रवण कुमार थाना मोहाना का सराहनीय योगदान रहा ।

विषय- पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा पुलिस पेंशनर्स की गोष्ठी कर तीन नए कानून एवं साइबर अपराध के सम्बन्ध में किया गया जागरूक।

□ तीन नए कानून के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातों पर चर्चा की गयी-

1. **जीरो एफआईआर का प्रावधानः-** अगर किसी व्यक्ति के साथ अपराध होता है और वह किसी भी कारण से अपने क्षेत्र के थाने तक तुरंत नहीं पहुँच सकता, तो वह देश के किसी भी पुलिस थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करा सकता है। जैसे- यदि वाराणसी का कोई व्यक्ति लखनऊ में अपराध का शिकार हुआ है, तो वह वाराणसी के किसी भी थाने में जाकर **Zero FIR** दर्ज करा सकता है। बाद में वह एफआईआर लखनऊ पुलिस को भेज दी जाएगी।

□ कमिश्नरेट वाराणसी में अब तक कुल **35** जीरो एफआईआर पंजीकृत की गईं, जिन्हें विधिक प्रक्रिया के अनुसार संबंधित जिलों/राज्यों को जांच हेतु स्थानांतरित किया गया।

2. **ई-एफआईआर सुविधा:-** ई-एफआईआर का मतलब है — ऑनलाइन एफआईआर यानि अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई अपराध होता है, तो वह थाने गए बिना, इंटरनेट के माध्यम से ही अपनी शिकायत पुलिस में दर्ज करा सकता है। जैसे- एक व्यक्ति का मोबाइल फोन वाराणसी रेलवे स्टेशन पर चोरी हो गया। व्यक्ति ने **uppolice.gov.in** पर जाकर **"E-FIR"** सेक्शन में अपनी जानकारी और मोबाइल का **IMEI** नंबर भरकर शिकायत दर्ज की। उसे एक **E-FIR** नंबर मिला और उसकी रिपोर्ट संबंधित थाना को भेज दी गई।

□ कमिश्नरेट वाराणसी में नागरिकों की सुविधा हेतु **327** ई-एफआईआर दर्ज की गईं, जिससे पीड़ितों को थाने में आए बिना ही ऑनलाइन रिपोर्टिंग की सुविधा प्राप्त हुई।

3. **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायिक साक्ष्य:-** अगर किसी व्यक्ति को अदालत में उपस्थित होना कठिन है — जैसे वह किसी दूसरे शहर या स्थान पर है — तो उसका बयान या गवाही वीडियो कॉल या वीडियो लिंक के माध्यम से रिकॉर्ड की जा सकती है। इस प्रक्रिया को ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा न्यायिक साक्ष्य देना कहा जाता है।

□ न्यायिक प्रक्रिया को सुगम व समयबद्ध बनाने हेतु **824** पेंशनर्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत मिली।

4. **फॉरेंसिक एविडेंस का अनिवार्य उपयोग:-** जब अपराध की जांच के दौरान वैज्ञानिक तरीके से मिले सबूतों (जैसे डीएनए टेस्ट, फिंगरप्रिंट, मोबाइल डाटा, **CCTV** आदि) का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाए, ताकि जांच सटीक, निष्पक्ष और प्रमाणिक बने।

□ गंभीर अपराधों में दोषसिद्धि सुनिश्चित करने हेतु **2431** मामलों में फॉरेंसिक एविडेंस संकलित कराया गया है, जिससे **07** वर्ष से अधिक दंडनीय अपराधों में ठोस साक्ष्य के आधार पर सजा सुनिश्चित करने में सहायता मिले।

□ साइबर अपराध के प्रति जागरूकताः-

1. किसी भी पुलिस या सरकारी एजेंसी द्वारा ऑनलाइन वीडियो कॉल या चैट के माध्यम से "डिजिटल अरेस्ट" नहीं किया जाता। “पैसा दुगुना करने” जैसे निवेश धोखाधड़ी से सतर्क रहने की विस्तृत जानकारी देते हुए जागरूक किया गया।

2. पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के लिए कोई “ऑनलाइन थाना” या निजी वेबसाइट मान्य नहीं है। शिकायत केवल सरकारी पोर्टल **cybercrime.gov.in** या निकटतम थाने में ही दर्ज कराएं।

3. किसी भी व्यक्ति को **OTP, UPI PIN**, बैंक पासवर्ड या कार्ड विवरण कभी न बताएं। साइबर अपराधी अक्सर बैंक अधिकारी या पुलिस बनकर ठगी करते हैं।

4. **CBI, NCB**, या पुलिस अधिकारी बनकर किसी पार्सल, अपराध या जांच के नाम पर धमकाने वाले सभी कॉल ठगी के प्रयास हैं। शांत रहें और सत्यापन के लिए स्थानीय पुलिस से संपर्क करें।

5. ऑनलाइन नौकरी, इनाम, या गिफ्ट लिंक भेजकर पैसे मांगने वाले ठगों पर विश्वास न करें।

□ पुलिस पेंशनर्स के पेंशन विसंगति, पेंशन भुगतान में तकनीकी अड़चने, चिकित्सा-प्रतिपूर्ति व अन्य भुगतान का समयबद्ध निस्तारण किये जाने हेतु सम्बन्धित को दिये गये निर्देश।

□ पुलिस पेंशनर्स की व्यक्तिगत व घरेलू समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ निस्तारण किये जाने हेतु दिये गये निर्देश।

□ थाना क्षेत्र में निवासरत पुलिस पेंशनर्स के साथ थानों पर तैनात अधिकारी नियमित रूप से संवाद स्थापित करें, जिससे उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान व आपसी जुड़ाव बना रहे।

आज दिनांक **01-11-2025** को पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा यातायात लाइन स्थित सभागार में आयोजित पुलिस पेंशनर्स गोष्ठी में तीन नए आपराधिक कानूनों एवं साइबर अपराधों के संबंध में जागरूक किया गया। गोष्ठी में जीरो एफआईआर, ई-एफआईआर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से न्यायिक साक्ष्य और फॉरेंसिक एविडेंस के अनिवार्य उपयोग पर विस्तार से चर्चा की गई। अब तक **35** जीरो एफआईआर दर्ज कर संबंधित जनपदों/प्रदेशों को प्रेषित की गईं तथा **327** ई-एफआईआर दर्ज कर नागरिकों को ऑनलाइन रिपोर्टिंग की सुविधा प्रदान की गई। **824** पेंशनर्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर मिला, जबकि **2431** मामलों में फॉरेंसिक एविडेंस संकलित कर जांच को सशक्त बनाया गया। साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करते हुए बताया गया कि किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा डिजिटल अरेस्ट नहीं किया जाता और किसी को भी **OTP, UPI PIN** या बैंक विवरण साझा नहीं करना चाहिए। पुलिस आयुक्त ने पेंशन विसंगतियों, भुगतान, चिकित्सा प्रतिपूर्ति जैसी समस्याओं के त्वरित निस्तारण तथा पेंशनर्स की व्यक्तिगत व घरेलू समस्याओं को संवेदनशीलता से हल करने के निर्देश दिए। साथ ही,

थानों पर तैनात अधिकारियों को पेंशनर्स से नियमित संवाद बनाकर उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु निर्देशित किया। इस दौरान बैठक में पुलिस पेंशनर्स व उनके पदाधिकारी के साथ-साथ पुलिस उपायुक्त लाइन श्री प्रमोद कुमार, अपर पुलिस उपायुक्त लाइन श्री वैभव बांगर, अपर पुलिस उपायुक्त प्रोटोकॉल श्री जंग बहादुर, सहायक पुलिस आयुक्त श्री ईशान सोनी सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस आयुक्त,
वाराणसी।

प्रेस नोट दिनाँक 01.11.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆ **थाना त्रिलोकपुर पुलिस द्वारा नए आपराधिक कानून के बारें में A.L.S. पब्लिक स्कूल बिस्कोहर में प्रचार प्रसार हेतु निबंध लेखन, वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी क्विज, नुक्कड़ नाटक आदि कार्यक्रम किया गया।**

डॉ0 अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा नए आपराधिक कानून के प्रचार प्रसार अभियान के आदेश के तहत आज दिनांक 01.11.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक महोदय प्रशांत कुमार प्रसाद के पर्यवेक्षण में बृजेश कुमार वर्मा क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज तथा रामदेव थानाध्यक्ष के कुशल नेतृत्व में A.L.S. पब्लिक स्कूल बिस्कोहर में निबंध लेखन, वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी क्विज, नुक्कड़ नाटक आदि कार्यक्रम किया गया तथा अन्य स्थानों पर भी नए आपराधिक कानून के प्रचार प्रसार किया गया।

प्रेस नोट- दिनांक 01.11.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆थाना इटवा पुलिस द्वारा गुमशुदा पति-पत्नी को सकुशल जनपद बरेली से बरामद कर परिजनों को सुपुर्द किया गया।

इटवा- दिनांक 26.10.2025 को श्री जगदीश प्रसाद पुत्र स्व0 रामसेवक साकिन ग्राम बैदौला चौराहा वार्ड नं0-11 इन्द्रिरानगर नगरपंचायत थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा आवेदक की पुत्री ज्योती उम्र 30 वर्ष व दामाद संजय पुत्र स्व0 सिद्धु प्रसाद साकिन वार्ड नं0-10 हनुमान नगर थाना इटवा जनपद सिद्धार्थगर उम्र करीब 33 वर्ष के गुम होने के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर सूचना दी गयी थी जिसपर थाना स्थानीय पर गुमशुदगी पंजीकृत किया गया। गुमशुदगी के सन्दर्भ में सूचना जरिये सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था। जिसके सम्बन्ध में समाज के सहयोग व अपराध के नियंत्रण हेतु पुलिस अधीक्षक डॉ0 अभिषेक महाजन के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक प्रशान्त कुमार प्रसाद के कुशल निर्देशन में क्षेत्राधिकारी इटवा शुभेन्दु सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक इटवा श्याम सुन्दर तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम उ0नि0 राम सुरेश यादव मय हमराह का0 नरेन्द्र देव चौहान के साथ बरामदगी हेतु तत्काल टीम का गठन कर गुमशुदा की तलाश हेतु टीम को रवाना किया गया। थानाध्यक्ष द्वारा दिये गये आदेश निर्देशों व सर्विलांस टीम की मदद से व सी प्लान ऐप की मदद से गुमशुदा 1. ज्योती उम्र 30 वर्ष 02. संजय पुत्र स्व0 सिद्धु प्रसाद साकिन वार्ड नं0-10 हनुमान नगर थाना इटवा जनपद सिद्धार्थगर उम्र करीब 33 वर्ष को सकुशल जनपद बरेली से बरामद कर परिजनों को सुपुर्द किया गया। जिसकी पुलिस त्वरित कार्यवाही की प्रशंसा पूरे क्षेत्र में की जा रही है।

प्रेस नोट दिनांक 01/11/2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆थाना गोल्हौरा पुलिस द्वारा मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 महिला सशक्तिकरण के क्रम में महिलाओं/बच्चियों को नये कानून के बारे में जानकारी देकर चलाया गया जागरुकता अभियान।

डॉ अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा "महिला सशक्तिकरण व नये कानून जागरुकता के संबंध में दिए गए निर्देश के क्रम में व प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व शुबेन्दू सिंह क्षेत्राधिकारी इटवा के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 01/11/2025 को राजेश कुमार गुप्ता प्रभारी निरीक्षक थाना गोल्हौरा जनपद सिद्धार्थनगर के निर्देशन में उ0नि0 रणविजय सिंह ,आ0रणजीत यादव,म0आ0 तृप्ति चौबे म0आ0बबिता सिंह द्वारा तथा राम अचल पब्लिक हाई स्कूल गोल्हौरा व जवाहर लाल पब्लिक स्कूल बरदहा थाना गोल्हौरा जनपद सिद्धार्थ नगर में जाकर बालिकाओं से संबंधित विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में और नए कानून के बारे में भी जानकारी दी गई तथा हेल्पलाईन नं0 1090 वुमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्प लाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन, 112 पुलिस हेल्प लाइन, 1098 चाईल्ड केयर लाइन*108* एम्बुलेंस हेल्प लाइन, 101 अग्निशमन हेल्प लाइन, 14567 एल्डर हेल्पलाइन, 1930 साइबर क्राइम हेल्प लाइन के सम्वन्ध में जानकारी दी गयी|

प्रेस नोट दिनाँक 01/11/2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆थाना इटवा मिशन शक्ति पुलिस टीम द्वारा रामअवतार मेमोरियल पब्लिक स्कूल ग्राम भिल्लौरी भिल्लौरा थाना इटवा में महिलाओं/बच्चियों को नये कानून के बारे में जानकारी देकर चलाया गया जागरुकता अभियान।

डॉ0 अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा "महिला सशक्तिकरण व नये कानून जागरुकता के संबंध में दिए गए निर्देश के क्रम में आज दिनांक 01/11/2025 को अपर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत कुमार प्रसाद के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी महोदय इटवा शुबेंदु सिंह तथा प्रभारी निरीक्षक श्यामसुंदर तिवारी के कुशल नेतृत्व में मिशन शक्ति टीम द्वारा रामअवतार मेमोरियल पब्लिक स्कूल ग्राम भिल्लौरी भिल्लौरा थाना इटवा में मिशन शक्ति 5.0 के सम्बन्ध में बालिकाओं/महिलाओं को सरकार के विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे मे जानकारी को बताया गया व जागरूक किया गया तथा नये कानून के अंतर्गत जानकारी देते हुए दण्ड से न्याय की ओर व नए आपराधिक कानून के प्रति जागरूक किया गया तथा निबंध प्रतियोगिता करायी गयी।

मिशन शक्ति टीम-

1 उ0नि0 रविन्द्र यादव थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर।

2 HC राकेश पटेल थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर।

3 का0 रवीश यादव थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर।

4 का0 नरेंद्र देव चौहान थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर।

5 म0का0 बृजमा निषाद थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर।

6 म0का0 प्रज्ञा पटेल थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट दिनाँक 01/11/2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆थाना मिश्रौलिया मिशन शक्ति पुलिस टीम द्वारा कृष्णा पब्लिक स्कूल गौरडीह में महिलाओं/बच्चियों को नये कानून के बारे में जानकारी देकर चलाया गया जागरुकता अभियान तथा निबंध प्रतियोगिता करायी गयी।

डॉ0 अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा "महिला सशक्तिकरण व नये कानून जागरुकता के संबंध में दिए गए निर्देश के क्रम में आज दिनांक 01/11/2025 को अपर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत कुमार प्रसाद के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी महोदय इटवा शुबेंदु सिंह तथा तथा थानाध्यक्ष बृजेश सिंह थाना मिश्रौलिया के कुशल नेतृत्व में मिशन शक्ति टीम द्वारा ग्राम/कस्बा स्थित कृष्णा पब्लिक स्कूल गौरडीह में दण्ड से न्याय की ओर व नए आपराधिक कानून के प्रति जागरूक किया गया तथा निबंध प्रतियोगिता करायी गयी।

मिशन शक्ति टीम का विवरण-

1 उ0नि0 रामदरश यादव थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर।
2 उ0नि0 बबुना यादव थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर।
3 उ0नि0 कृष्ण मोहन मिश्रा थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर।
4 का0 सुकेश शाह थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर।
5 का0 रमेश मौर्या थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर।
6 का0 धीरज यादव थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर।
7 म0का0 जूही दूबे थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर।
8 म0का0 अनुपम थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट- दिनांक 01-11-2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆जनपदीय पुलिस द्वारा जनपद में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने-अपने सर्किल/थाना क्षेत्रो में पड़ने वाले चिन्हित हाट स्पॉट व उसके आस-पास के क्षेत्रों में चेकिंग व पैदल गश्त किया गया।

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में आज दिनांक **01.11.2025** को जनपद के क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा जनपद में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने-अपने सर्किल/थाना क्षेत्रो में पड़ने वाले चिन्हित हाट स्पॉट व उसके आस-पास के क्षेत्रों में पड़ने वाले भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर सघन चेकिंग व पैदल गश्त किया गया। आमजनमानस में सुरक्षा का एहसास कराया गया।